यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, **एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, **एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** के माह 02/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री** राजकुमार, ले.प., खुशीराम, वरिष्ठ ले.प. एवं सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी **द्वारा दिनांक 03-08-17 से 11-08-17 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।**

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा **श्री** दीपेश कुमार व श्री वी.पी. सिंह, **सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20-02-16 से 03-03-16 तक श्री** डी.एन. मिश्रा, **वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/14 से 01/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह नवम्बर 02/16 से 07/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।**

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	13894708	13894708	-	-	-	-
2016-17	-	-	61981873	61981873	-	-	-	-
04/17-07/17	-	-	22444716	22444716	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
.....शून्य.....					

(iii) इकाई को बजट आवंटन महाविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क से सृजित Maintenance fund **द्वारा** किया जाता है। गैर स्थापना व्यय **को सम्मिलित** न करते हे इकाई **'बी' श्रेणी** की है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य, एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, एम.के. पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/16 एवं 03/17 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 (i) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 1 : पुराने शौचालय की जगह लागत रू0 16.34 लाख की नवनिर्मित शौचालय के समर्थन में आवश्यक तथ्य अप्रस्तुत पाया जाना।

कार्यालय एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज की अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08.09.14 को गठित समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या–02 पारित करते हुए Caution money तथा Games fund से महाविद्यालय परिसर में टायलेट निर्माण हेतु रू0 16.34 लाख आहरित किया गया तथा पुराने शौचालय को ध्वस्त कर नवनिर्मित शौचालय का निर्माण कराया जाना पाया गया। पुराने शौचालय के निष्प्रयोज्य संबंधी तकनीकी रिपोर्ट लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध पाया गया। साथ ही मलबा से प्राप्त राजस्व तथा निर्माण संबंधी सभी आवश्यक पत्रावली अनुपलब्ध पाया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि शौचालय निर्माण से संबंधित समस्त प्रकरण की जिम्मेदारी उच्चाधिकारी की संस्तुति के माध्यम से पी.डब्लू.डी., देहरादून को हस्तगत की गयी थी। अतः इकाई इस विषय पर विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि पुराने शौचालय के अक्रियाशील के समर्थन में इकाई ठोस तथ्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। डिस्मेंटल सामग्री महाविद्यालय की सम्पत्ति थी, परन्तु इकाई पूरी तरीके से निर्माण एजेंसी पर निर्भर रही जिससे इकाई की कार्यों के प्रति उदासीनता प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : कॉशनमनी के तहत सृजित कोष रू0 5.29 लाख से अनियमित व्यय का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून द्वारा कॉशनमनी से संबंधित पासबुक सं. 553302010000142 (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया न्यू रोड शाखा) तथा संगत अभिलेखों की जांच की गयी। इस संबंध में गाइडलाइन्स के मुख्य अंश में तथ्य का उल्लेख पाया गया कि 'यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़ने के 03 वर्ष पश्चात् तक अपनी कॉशनमनी वापस लेने का आवेदन पत्र नहीं देता, तो यह राशि व्यपगत (लैट्स) कर दी जायेगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक के प्राप्त शुल्क जिसे छात्रों को लौटाया जाना था। (स्नातकोत्तर अवधि तथा 03 वर्ष आवेदन अवधि कुल 08 वर्ष की अवधि जो पूर्ण नहीं हुये थे।) की धनराशि को छोड़ते हुये वास्तव में महाविद्यालय के पास बचत धनराशि रू0 5.29 लाख पायी गयी। परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक पाया गया कि अन्य प्रयोजन के लिये दिनांक 17.05.16 को रू0 834000.00 इकाई द्वारा आहरण किया गया, जो उक्त तिथि तक असमयोजित था। उपलब्ध अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत 05 वर्षों में अब तक छात्रों को कोई प्रतिभूति राशि वापस नहीं की गयी। आगे जांच में पाया गया कि कॉशनमनी के वापसी के संबंध में छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिये महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी नहीं की जा रही थी। महाविद्यालय के 05 वर्षों की कॉशनमनी की स्थिति अनुलग्नक में दर्ज है।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि सक्षम अधिकारी (प्राचार्या) के आदेशानुसार महाविद्यालय के हित में समय–समय पर आहरित की जाती है।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया क्योंकि जो धनराशि आहरित की गयी वह छात्रों को वापस की जाने वाली राशि में से थी। जब वर्ष दर वर्ष छात्रों द्वारा प्रतिभूति राशि वापस करने का आवेदन पत्रों की संख्या नगण्य थी, तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी थी कि छात्रों को समय–समय पर अवगत कराने के लिए सूचना प्रकाशित करें, परन्तु कोष को सृजित रखकर मनमाने ढंग से व्यय का प्रकरण पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

वर्ष	प्राप्ति शुल्क	वापस की गयी राशि
2012–13	41140	शून्य
2013–14	45620	शून्य
2014–15	33680	शून्य
2015–16	34000	शून्य
2016–17	38150	शून्य

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
अनुपालन आख्या अपेक्षित निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करने का इकाई द्वारा सुनिश्चित करने की बात कही गयी			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अपेक्षित प्रारूप में निस्तारण हेतु आख्या अप्राप्त				

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) नमूना लेखा टिप्पणी की अनुपालन आख्या रिपोर्ट

2. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	प्रो. इन्दु सिंह	प्राचार्य	13 जुलाई 2013 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, एम.के.पी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून–248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.